रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2016/फाल्गुन 25, 1937
No. 163]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2016/PHALGUNA 25, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि. 296(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सहायक निदेश (अन्वेषण और अभियोजन) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जि ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्याल में सहायक निदेशक (अन्वेषण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्याल सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड औ ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उस लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेग जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचि जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (अन्वेषण)	09* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त और कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और

(iv) ग्रेड वेतन 4200 रुपए के गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में ऐसे सहायक और ग्रेड वेतन 4600 रुपए के ऐसे कार्यालय अधीक्षक भी सहायक निदेशक (अन्वेषण) के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु वे पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:

<u>आवश्यक:</u>

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और

(ii) कानूनी विधियों के प्रवर्तन में या किसी सरकारी विभाग में आर्थिक अपराधों के अन्वेषण और उनके आसूचना के संग्रहण का तीन वर्ष का अनुभव।

<u>वांछनीय:</u>

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या लागत और प्रबंध लेखा-कर्म या कंपनी सचिव कार्य या कारबार प्रशासन (वित्त) का मास्टर या प्रबंध (वित्त) में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के संग्रहण के साधनों और कार्यपद्धतियों या कथन के अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य के संग्रहण, समाकलन और प्रस्तुति से सुपरिचित होना चाहिए।

टिप्पण (i): प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण (ii): प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 35011/28/2009-प्रशा. II]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs Group "B" Post Gazeted Assistant Director (Investigation & Prosecution) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Investigation) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**-The number of said post, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**-No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Investigation).	09 * (2016) *subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation (Including Short-term Contract).	**Deputation (Including Short-term Contract)** Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Pubic Sector Undertakings or Autonomous and Statutory bodies: (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (IV) Assistants in the grade pay of Rs. 4200 and office superintendents in the grade pay of Rs. 4600 in Serious Fraud Investigation Office (SFIO) may also be permitted to apply for deputation for Assistant Director (Investigation) provided they fulfil the eligibility conditions/criteria. (B) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential** (I) Bachelor's Degree from a recognised University; and (II)Three years' experience in enforcement of regulatory Laws or investigation of economic offences and collection of intelligence thereto in a Government department. **Desirable** (I) Bachelor's degree in Law or Chartered Accountancy or Cost and Management Accountancy or Company Secretaryship or Master of Business Administration (Finance) or Post Graduate Degree in Management (Finance) from a recognised university/institute (II) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings. Note: (i) For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(ii) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum Age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary

[F. No. A. 35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.